उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा) अनुभाग-2
संख्या-स-2-856/दस-97-10191/95
लखनऊ/दिनांक 22 अप्रैल, 1997

कार्यालय ज्ञाप

(शुद्धि पत्र)

वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-स-2-47/दस-97-10191/95, दिनांक 3 मार्च, 1997 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2, 4, 8 एवं अन्य सुसंगत स्थानों पर लघु सिंचाई के बाद "भूगर्भ जल विभाग" को भी सम्मिलित करते हुये पढ़ा जायें।

विनोद कुमार मित्तल
प्रमुख सचिव, वित्त

पृष्ठांकन संख्या-स-2-856(1)/दस-97-10191/95 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) अतिरिक्त निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) सचिवालय के संबंधित अनुभाग।

आज्ञा से,

(शिवानन्द गिरि)
संयुक्त सचिव